

an>

Title: Issue regarding freedom of expression by media.

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आज सदन के समक्ष रख रही हूँ। कुछ दिन पूर्व राज्य के एक मुख्य मंत्री जी ने ऐसा बयान दिया कि प्रेस का कोई भी व्यक्ति अगर उनके खिलाफ खबर छापता है तो उसके विरोध में एक परिपत्र जारी किया जाएगा और उस पर मानहानि के मुकदमे की मांग की जाएगी। उन्हीं व्यक्ति ने उसके एकदम पूर्व एक और बयान जारी किया कि जो भी उनकी नजरों में ईमानदार व्यक्ति होंगे और ईमानदार प्रेस के कार्यकर्ता होंगे, उन्हें उनकी सरकार प्रोत्साहित करेगी। ऐसा आज न केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था बल्कि उसकी जितनी भी कार्यप्रणाली है, उसके अपमान के क्षेत्र में आता है क्योंकि इस प्रकार का कार्य कि अपनी तारीफ में जो लिखा जाए, उसे प्रोत्साहित करने के लिए करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल किया जाए, वया यह आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुमकिन है? वया ऐसा कोई भी सरकार कर सकती है? मैं कहना चाहती हूँ कि यह सत्य को कहीं न कहीं जनता से दूर रखने का एक प्रकरण है जिसकी भरसक निन्दा आज इस संसद के माध्यम से होनी चाहिए। विभिन्न मीडिया समूहों के कार्यक्षेत्र में धरातल की असमानता को भी सृजित करता है। प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्तम्भ है तथा सरकार द्वारा जनता के पैसे से इस प्रकार का पक्षपात करना उसे कमजोर करता है यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही कमजोर करता है। यह राष्ट्र के लिए चिन्ता का विषय है क्योंकि यह हम सबको 70 के दशक की याद दिलाता है। उस दशक में आपातकाल के दौरान प्रेस का किस तरह दुरुपयोग हुआ, यह देश अच्छी तरह जानता है और दृढ़ता से उसका विरोध करता है। साथ ही पुनः ऐसा दोहराया न जाए, इसकी पूरी तैयारी है। अतः मैं इस सदन के माध्यम से अनुरोध करती हूँ कि न केवल इसकी निन्दा व भर्त्सना करना आवश्यक है अपितु इसे हतोत्साहित करने की भी आवश्यकता है। Not only shunned but it has to be discouraged by this House.

माननीय अध्यक्ष :

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

श्री अजय मिश्रा टेनी,

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत,

डा. उदित राज,

श्री जगदम्बिका पात,

श्रीमती अंजू बाता,

श्री दहन मिश्रा,

श्री प्रहलाद सिंह पटेल,

डा. वीरिन्द्र कुमार,

श्री पी.पी. चौधरी,

डा. मनोज राजोरिया और

श्रीमती रेखा वर्मा को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री प्रेम सिंह चन्द्रमाजरा (आनंदपुर साहिब) : अध्यक्ष महोदया, मीनाक्षी लेखी जी ने जो विषय उठाया है, ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वया आप वही विषय उठा रहे हैं?

â€“(व्यवधान)

श्री प्रेम सिंह चन्द्रमाजरा : मैं पहले अपने को उनके विषय से एसोसिएट करता हूँ और वादा भी करता हूँ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात बोलिए।

â€“(व्यवधान)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : वादा इस बात का है कि ऐसी ही बहुत शर्मनाक और निन्दनीय घटना पंजाब के लुधियाना में हुई। वहां एक महिला पतुकार की पिटाई की गई। उसे कांग्रेस के एक विधायक ने मारा। मुझे इस बात का दुःख है कि वहां यूथ कांग्रेस के बहुत सारे वर्कर्स खड़े थे। उन्होंने लताड़ा... (व्यवधान) मां दिवस पर एक मां को केवल इसलिए इतना पीटा गया कि वह उनके मर्जी की खबरें नहीं देती थीं... (व्यवधान) उसका अपमान किया गया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि हाउस इसकी निन्दा करे और ऐसे लोगों को सबक सिखाए जो इमरजेंसी की याद दिला रहे हैं। वे प्रैस का गला घोटना चाहते हैं... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।